(114)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट-I — दिनांक 2 FEB 2011

परिपत्र

विषय:-कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित आवासीय भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम-2010 की अधिसूचना दिनांक 28.10.2010 को जारी की जा चुकी है। उक्त नियम कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों में लागू नहीं है। अतः कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवश्यक नियम बनाए जाते हैं।

उक्त नियम बनाए जाने तक राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है.-

1. नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.04.2010 व समय-समय पर किए गये संशोधन एवं कृषि भूमि के अकृषि परिवर्तन हेतु जारी परिपत्रों एवं आदेशों के तहत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।
2. विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010 में बिन्दु सं. 03 पर उल्लेखित नगर पालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2000 के तहत गठित समितियों के स्थान पर राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम-2010 के बिन्दु सं. 05 पर गठित समितियां अधिकृत होंगी।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक(एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक (नगर आयोजना), नविवि, जयपुर एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(प्रकाश दिवाकर)
उप शासन सचिव-II

(285)